

I/303849/2023

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 303849/2023 / 71-1001(099)/610/2021-Part(1)

लखनऊ: दिनांक: 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है अब तक निर्गत आदेशों को अवकमित करते हुये समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों एवं पैरा मेडिकल कालेजों तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित/प्रस्तावित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण एतद्वारा निम्नवत किया जाता है-

| क्र(सं) | मद | पैरा मेडिकल (डिप्लोमा कोर्स) प्रथम वर्ष का शुल्क (रुपये में) | पैरा मेडिकल (डिप्लोमा कोर्स) द्वितीय वर्ष का शुल्क (रुपये में) | पैरा मेडिकल (डिग्री कोर्स) प्रथम वर्ष का शुल्क (रुपये में) | पैरा मेडिकल (डिग्री कोर्स) द्वितीय/तृतीय वर्ष का शुल्क (रुपये में) |
|---------|----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Enrolment fees | 1000 | - | 1000 | - |
| 2 | Application form Fee | - | - | 100 | - |
| 3 | Assessment fees | 1500 | 1500 | - | - |
| 4 | Tuition fees | 24000 ✓ | 24000 | 30000 | 30000 |
| 5 | Other fees | 4000 | 4000 | - | - |
| 6 | Development fees | 2000 | 2000 | - | - |
| 7 | Admission Fees | 2000 ✓ | - | - | - |
| 8 | Caution Money (Refundable) | 5000 | - | 10000 | - |
| 9 | Sports Fees | 1000 ✓ | 1000 | - | - |
| 10 | Computer fees | 1000 ✓ | - | - | - |
| 11 | Library fees | 1000 ✓ | 1000 | - | - |
| 12 | Student welfare | 500 ✓ | - | - | - |
| Total | | 43000 | 33500 | 41100 | 30000 |

2- पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा/डिग्री) हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क में 10प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि अनुमन्य की जायेगी।

3- पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों से लिये गये उपर्युक्त शुल्क का उपयोग संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों/निदेशक द्वारा निम्नवत मद में व्यय किया जायेगा-

| क्रमांक | व्यय का मद |
|---------|---|
| 1. | गेस्ट फैंकल्टी के मानदेय का भुगतान। |
| 2. | विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क। |
| 3. | उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैंकल्टी नवीनीकरण/निरीक्षण शुल्क। |
| 4. | एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटी। . . . |
| 5 - | छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुबन्धित वाहन में आने वाले व्यय। |
| 6- | विभाग के कन्टीजेन्सी व्यय के लिए प्रतिमाह रू0 10000/- अधिकतम रू0 1,00,000/- वार्षिक व्यय। |

43000 - total
- 24000
19000

किसी अन्य मद पर भी व्यय किया जा सकता है।

4- उपर्युक्त मदों में आने वाले व्यय का आंकलन कर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० से पूर्तानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा व्यय किया जायेगा। शेष धनराशि राजकोष में जमा किया जायेगा।

5- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था को अंगीकृत किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Signed by आलोक कुमार

Date: 18-04-2023 16:08:43

Reas (आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित-

- 1- निजी सचिव, मा०मंत्री जी/मा०राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- कुल सचिव, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
- 4- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- 5- समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र०।
- 6- प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
- 7- निदेशक, राजकीय पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
- 8- निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे०के० कैंसर संस्थान, लखनऊ।
- 9- सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
- 10- समस्त वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- 11- समस्त वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र०।
- 12- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस०पी० सिंह)

उप सचिव।